न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 25/2021

1. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल जाति ढोली(बारेठ)
2. श्योजीराम पुत्र मदनलाल जाति ढोली (बारेठ) समस्त निवासीगण कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र मदनलाल जाति ढोली (बारेठ) निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल नि. मरडिया तह. हिण्डोली जिला बूंदी
2. कालुराम पुत्र मदनलाल जाति ढोली (बारेठ) निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर राज. हाल नि. मरडिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
3. श्रीमति कोशल्या पुत्री मदनलाल पत्नि गोविन्द सिंह जाति ढोली (बारेठ) निवासी कुरथल हाल तारपुर सीकर
4. श्रीमति चन्दा पुत्री मदनलाल पत्नि प्रहलाद राणा जाति ढोली (बारेठ) निवासी कुरथल हाल नि. तारपुर, सीकर
5. श्रीमति तारा पुत्री मदनलाल पत्नि जगदीश जाति ढोली (बारेठ) निवासी कुरथल हाल नि. शास्त्री नगर जयपुर
6. श्रीमति सप्यार पुत्री मदनलाल जाति ढोली (बारेठ) निवासी कुरथल हाल निवासी शास्त्री नगर जयपुर
7. श्रीमति धन्नी देवी पत्नि जगदीश कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. रामराज कुमावत पुत्र घीसालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. तहसीलदार महोदय भिनाय
10. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अजमेर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :— महावीर गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी
श्री रमेश मेघवंशी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8
पैरोकार सरकार

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक:—21.04.2022

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवदेन किया है कि मौजा कुरथल तहसील भिनाय की वादग्रस्त भूमियां जमाबन्दी संवत् 2072—75 के खाता सं. 394 की भूमियां खसरा नं. 2446 रकबा 1.62 किस्म बारानी—3 प्रार्थीगण की [illegible] है जिस पर प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के [illegible] मदनलाल के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्युपरांत विरासत दर्ज करते समय अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम दर्ज हो गई [illegible] अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 के पिता का नाम भी मदनलाल होने से अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज हो गई जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 7 व 8 को कर दिया। जबकि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 को उक्त भूमि विक्रय करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं था। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

र्तीगण को उनके पूर्वज के हक एवं अधिकार की भूमि मे प्रार्थीगणो के हक एवं अधिकार तक तेदारी हेतु वाद के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मेघवंशी ने वकालत नामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र झूठे एवं गलत तथ्यों पर आधारित हैं। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के पिता मदनलाल पुत्र कल्याण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 ही स्व0 मदनलाल पुत्र कल्याण के विधिक वारिसान है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी बतौर विरासत के अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 के पिता का नाम समान होने के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के दादाजी का नाम समान नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 प्रश्नगत आराजी के वास्तविक स्वामी होने के कारण स्वयं के विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अप्रार्थीगण सं. 7 व 8 को विधिक प्रक्रिया द्वारा प्रश्नगत आराजी का बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया विधिविरूद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य बताया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में लिखित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये का पुरजोर निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के अधिवक्ता ने जवाब पत्र अनुसार अभिकथनों को प्रस्तुत कर जवाब पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर प्रकरण निर्णित करने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार ने पत्रावली पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायसंगत प्रतीत नहीं होना बताया।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन करने पर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं है ।

अतः मौजा कुरथल तहसील भिनाय की वादग्रस्त भूमियां जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता सं. 394 की भूमियां खसरा नं. 2446 रकबा 1.62 किस्म बारानी–2 पर प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वांछित आनुतोष के अधिकारी नहीं पाये जाने एवं इसे सिद्ध करने में असफल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो बाद तामील तकमील होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय(अजमेर) राज

Scanned with CamScanner